



राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर
(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक:- F.1(19) RajMES/Estt. Post creation/2019/ 820

दिनांक 07/04/2020

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कॉलेज, भरतपुर/भीलवाडा/
पाली/चुरू/डूंगरपुर/बाड़मेर/सीकर।

विषय:- COVID-19 के कारण आपात स्थिति में सह आचार्य के रिक्त पदों को Downgrade किये जाने तथा इन पदों पर आवश्यक अस्थाई आधार पर सहायक आचार्य लिए जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रदेश में COVID-19 के कारण आपात स्थिति में राजमेस के अधीनस्थ चिकित्सा महाविद्यालयों में सह आचार्य के निम्न विवरण अनुसार रिक्त 80 पदों को तीन माह हेतु Downgrade किये जाकर Microbiology , Pathology ,PSM ,Medicine एवं Anaesthesia विभागों में इन Downgrade सहायक आचार्य के पदों पर आवश्यक अस्थाई आधार पर चिकित्सक शिक्षक लिए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

Department	Bharatpur		Bhilwara		Churu		Dunarpur		Pali		Barmer		Sikar		Total	
	Sanction	Vacant	Sanction	Vacant	Sanction	Vacant	Sanction	Vacant	Sanction	Vacant	Sanction	Vacant	Sanction	Vacant	Sanction	Vacant
Associate Professor	20	11	20	9	20	14	20	12	20	9	19	14	16	11	135	80

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन जारी की जाती है :-

1. यह स्वीकृति स्वीकृति के दिनांक से तीन माह हेतु ही मान्य होगी। तीन माह पूर्ण होने पर यह स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. पदों को Downgrade करने की सहमति केवल कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य एवं कोरोना संक्रमण की अवधि हेतु प्रदत्त की जा रही है।
3. इन पदों के विरुद्ध कोई स्थाई भर्ती नहीं की जायेगी।
4. उपरोक्त की पालना में इससे संबंधित नियमों, विनियम एवं दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

कृ.प. उ.,



राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर

(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

5. उपरोक्त Downgrade रिक्त पदों के विरुद्ध Microbiology ,Pathology ,PSM ,Medicine एवं Anaesthesia विभागों में आवश्यकता अनुसार वरीयता देते हुए आवश्यक अस्थाई आधार पर चिकित्सक शिक्षक लिए जाने की कार्यवाही करावें ।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान सरकार की ID संख्या 152000333 दिनांक 03.04.2020 के अनुसरण में एतद् द्वारा प्रदान की जाती है ।

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी
जयपुर

क्रमांक:- F.1(19)/RajMES/Estt./Post creation/2019/

दिनांक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
3. निजी सहायक, अति. निदेशक (प्रशा.), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कोषाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजमेस, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

//

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी
जयपुर